

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 263/2008
संस्थित दिनांक-13.06.2008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

दीपक पिता नानुराम यादव,
आयु-37 वर्ष, जाति-अहिर
निवासी-राजपुर, हाल मुकाम,
नवलपुरा मोहल्ला, बड़वानी,
जिला बड़वानीअभियुक्त

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 20/11/2015 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 96/08 के आधार पर भा.द.सं. की धारा-279, 338, 304(ए) का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में कोई भी तथ्य स्वीकृत नहीं है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.08 को रात्रि 11:00 बजे सुमित अपनी कार वेन क्रमांक एम.पी.09 बी.ए. 1446 से बड़वानी शादी से वापस ठीकरी आ रहा था, रात्रि लगभग 11:00 बजे उसने देखा कि बांदरकच्छ फाटे पर एक मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एम.जे. 2914 और उसके सवार सुनील पिता दगडू तथा एक अन्य व्यक्ति गिरे पड़े हैं तथा बड़वानी तरफ से आ रहे महिन्द्रा कंपनी के ट्रैक्टर जिस पर मुकाती कृषि फार्म लिखा था, के चालक ने ट्रैक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर पीछे से राजु की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसायकल पर बैठे राजु और सुनील गिर गये, राजु को सिर में तथा बदन में चोटे आई, राजु घटनास्थल पर ही मर गया, सुनील के दाहिने हाथ में, बदन पर चोटे आई, उसने राजु और सुनील को अपनी गाड़ी में बैठाया ठीकरी अस्पताल लेकर आया तथा उन्हें अस्पताल में छोड़कर थाने पर रिपोर्ट करने गया । सुमित की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 96/08 का दर्ज किया गया । घटनास्थल से उक्त ट्रैक्टर जप्त किया, मृतक के शव का परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये । राजु की मोटरसायकल का नुकसानी पंचनामा बनाया गया तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन ट्रैक्टर के दस्तावेज जप्त कर उसे

गिरफ्तार कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-279, 338, 304(ए) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.04.18 को रात्रि 11:00 बड़वानी रोड़ दवाना गांव के आगे महिन्द्रा ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली पर कृषि फार्म पिपलुद लिखा था तथा इंजन नंबर टी 4 बी 2246 एवं ट्रॉली को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर राजु और सुनील का जीवन संकटापन्न किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर सुनील को घोर उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर राजु की मोटरसायकल को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी सुमित (अ.सा.1), डॉ. दुर्गासिंह (अ.सा.2), राणाजी (अ.सा.3), बालमकुन्द (अ.सा.4), शुभनारायण मिश्र (अ.सा.5), प्रताप (अ.सा.6), जयंतीलाल (अ.सा.7) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 3 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी सुमित (अ.सा.1) का कथन है कि लगभग एक वर्ष पूर्व वह रात को 8-9 बजे अपनी मारुति वेन से बड़वानी से ठीकरी जा रहा था, बांदरकच्छ फाटे पर उसने देखा कि दो व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हैं, जिनको खून निकाल रहा था, जिसमें से एक का नाम राजु था और दूसरे व्यक्ति का नाम उसे पता नहीं है । राजु की मृत्यु हो गयी थी । वह घायल व्यक्ति एवं राजु को अपनी कार में डालकर ठीकरी अस्पताल ले गया और अस्पताल में पुलिस आ गयी थी, उसके साथ मारुति वेन में उसका मित्र बालमकुन्द शर्मा भी था ।

साक्षी ने प्र.पी.1 की रिपोर्ट एवं नक्शा-मौका प्र.पी.2 एवं मोटरसायकल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना दिनांक को उसके सामने ट्रैक्टर के चालक ने तेज गति एवं उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर राजु की मोटरसायकल नंबर एम.पी.09 एम.जे. 2914 के पीछे से टक्कर मार दी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके सामने टक्कर मारी थी, जिससे राजु एवं सुनील मोटरसायकल से गिर गये थे । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने पुलिस को प्र.पी.1 की रिपोर्ट एवं प्र.पी.4 के कथन में उक्त दुर्घटना उसके सामने होने की बात बतायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि वह आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहा है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के दिनों में खेतों का गन्ना काटकर शुगर फैक्ट्री घटवां की ओर ट्रैक्टर-ट्रॉली जाती है और उन दिनों में भरी हुई और खाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां पलट जाती हैं ।

8. साक्षी बालमकुन्द (अ.सा.4) ने अभियुक्त को पहचानने और घटना देखने से स्पष्ट इन्कार किया है । इस साक्षी को अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि सुमित उसका मित्र है, लेकिन साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि घटना वाले दिन वह सुमित के साथ मारुति वेन से वापस आ रहा था, तब अभियुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को लापरवाही से चलाकर लाया और उनके सामने राजु की मोटरसायकल को टक्कर मार दी थी । साक्षी ने यहां तक कि पुलिस को प्र.पी.12 के कथन देने से भी इन्कार किया है ।

9. साक्षी शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 19.04.08 को थाना ठीकरी में फरियादी सुमित द्वारा थाने पर आकर ट्रैक्टर महिन्द्रा कंपनी के चालक के विरुद्ध ट्रैक्टर को लापरवाही एवं उपेक्षा से चलाकर राजु की मोटरसायकल को टक्कर मारने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखायी थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे फरियादी ने प्र.पी.1 की रिपोर्ट नहीं लिखायी थी, रिपोर्ट में उसे ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर, इंजन नंबर और ट्रैक्टर को तेज गति से चलाने की बात नहीं बतायी थी ।

10. साक्षी राणाजी (अ.सा.3) का कथन है कि वह फरियादी सुमित को जानता है । सुमित जायसवाल ने उसे उसके पुत्र राजु की दुर्घटना में मृत्यु होने की बात बतायी थी । साक्षी का कथन है कि सुनील ने उसे घटना के बारे में बाद में बताया था कि वह और राजु मोटरसायकल से आ रहे थे तो ट्रैक्टर वाले ने उनको टक्कर मार दी थी । साक्षी ने लाश पंचनामा एवं सफीना-फार्म प्र.पी.9 एवं 10 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके लड़के का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वह नहीं बता सकता है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसका बेटा मोटरसायकल से गिर गया था ।

11. साक्षी प्रताप (अ.सा.6) ने दिनांक 22.04.08 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 96/08 में जप्त ट्रैक्टर जिसका इंजन नंबर टीयुबी 224यू था का यांत्रिकी परीक्षण करने पर उसे सही अवस्था में होना पाया है और अपने परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.13 को प्रमाणित किया है ।

12. साक्षी जयंतीलाल (अ.सा.7) का कथन है कि वर्ष 2008 में उसके पास महिन्द्रा कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.09 एम.ए. 2748 था, पुलिस ने उसके ट्रैक्टर को लगभग 6-7 वर्ष पूर्व रोक लिया था, तब उसने ट्रैक्टर को न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था । अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वर्ष 2008 में जब पुलिस ने उससे ट्रैक्टर जप्त किया था, तब उसके ट्रैक्टर पर चालक के रूप में अभियुक्त था । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके ट्रैक्टर पर अलग-अलग व्यक्ति चालक के रूप में आते-जाते रहते हैं तथा कभी कभी वह भी ट्रैक्टर चलाता है । साक्षी ने यहां तक कि पुलिस को प्र.पी.14 का कथन देने से भी इन्कार किया है ।

13. साक्षी डॉ. दुर्गासिंह (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 19.04.08 को उसने ठीकरी अस्पताल में आहत सुनील पिता दगडू उम्र 24 वर्ष निवासी जरवाय रोड़ ठीकरी का मेडिकल-परीक्षण कर उसे कटा हुआ घांव जिससे खून बह रहा था, दाहिनी भुजा की हड्डी तक होना पाया था, जो चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होकर चोट गंभीर प्रकृति की होकर 6 घंटे के भीतर आना संभव थी । साक्षी ने आहत को एक्स-रे के लिये बड़वानी अस्पताल रेफर करने और एक्स-रे परीक्षण में सुनील को दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी के दोनों सिरों पर फ्रैक्चर होना पाया है । साक्षी ने उसकी मेडिकल-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.5 और एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.6 तथा एक्स-रे प्लेट प्र.पी.7 को भी प्रमाणित किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 19.04.08 को राजु पिता राणाजी निवासी जरवाय रोड़ ठीकरी के शव का परीक्षण कर परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.8 का दिया था तथा राजु की मृत्यु का कारण सिर की चोट होना पाया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति से चलती मोटरसायकल से गिर जाए तो प्र.पी.5, 6 एवं 8 में दर्शित चोटें आना संभव हैं और मृत्यु होना भी संभव है ।

14. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है । इस प्रकार स्पष्ट रूप से साक्षी सुमित जायसवाल (अ.सा.1) ने दुर्घटना देखने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है, यहां तक कि प्र.पी.1 की रिपोर्ट भी पुलिस को लिखाने से स्पष्ट इन्कार किया है । बालमकुन्द (अ.सा.4) जो कि चश्मदीद साक्षी होना बताया गया है ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है । किसी अन्य साक्षी के कथन से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर आहत सुनील एवं राजु का जीवन संकटापन्न करते हुए सुनील को घोर उपहति एवं राजु की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ।

15. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त दीपक के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त दीपक पिता नानुराम यादव आयु-37 वर्ष, निवासी राजुपर हाल मुकाम नवलपुरा मोहल्ला बड़वानी जिला बड़वानी को भा.द.सं. की धारा-279, 338, 304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

16. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्त वाहन ट्रैक्टर-ट्रॉली जयंतीलाल पिता तुलसीराम यादव निवासी पिपलुद की सुपुर्दगी पर है, बाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

18. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.